न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 159 दायर दिनांक 30.10.2019

साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन जाति बिश्नोई साकिन 27 एम ओ डी ए गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

----- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

----- प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 आरटीए 1955 सपठित धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1– राजवीर भादू अभिभाषक वादी।

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़।

–:– निर्णय –:– दिनांक 23.01.2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये बैयनामा मोहनलाल पुत्र श्री जियाराम जाति बिश्नोई साकिन लखासर के नाम से 24 एम ओ डी के प0न0 9/271 मु0न0 14 के किला न. 1ता5/1.265है0, 6/1मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी भूमि खरीद की गई। जो चक 24 एम ओ डी से वर्तमान चक 27 एम ओ डी ए पैमुद हो चुका है। जो चक 27 एम ओ डी ए के खाता संख्या 61/55 के प0न0 9/271 मु0न014 के किला न. 1 ता 5/ 1.265है0, 6/1 मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई। जिसमे वादी के पिता का नाम राजाराम उर्फ रामरतन दर्ज नही होने से दुरूस्ती वाद पत्र 08.08.1988 को सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर वादी के पिता राजाराम उर्फ रामरतन करने का संशोधन–पत्र तस्दीक करवाया गया। परन्तु जमाबन्दी मे राजाराम दर्ज हो गया। वादी के नाम जैरवाद खातेदारी भूमि दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 मे साहबराम पुत्र श्री राजाराम के नाम से अंकित है इसमे साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन किया जाना चाहिए। वादी का सही नाम साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री रामरतन है। सभी प्रकार के दस्तावेजो मे नाम की एक रूपता होनी उचित है वादी वर्तमान मे साहबराम उर्फ

–– 2 पर लगातार

रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन के नाम से जाना जाता है व इसी अनुसार जमाबन्दी मे अंकित होने का हकदार है। साहबराम पुत्र श्री राजाराम के नाम से वादी नही जाना जाता यह वादी का बचपन का नाम था बड़े होने पर वादी का नाम रायसाहब पुत्र श्री रामरतन सरकारी दस्तावैजी रिकार्ड मे अंकित करवाया गया जिसमे वारिस प्रमाण –पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि दस्तावैजो मे वादी का नाम रायसाहब पुत्र श्री रामरतन अंकित है गॉव मे सरपंच गॉव के सभी निवासीयो को जानता है वादी ने अपना फोटो लगाकर नाम का सही प्रमाण पत्र प्राप्त कर वाद के साथ सलग्न कर दिया है इसके अनुसार वादी का सही नाम साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन है। वादी द्वारा नाम दुरूस्ती हेतू तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से कई बार सम्पर्क किया तथा कई बा रनाम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन कभी भी कोई भी कार्यवाही नही की गई। साहबराम पुत्र श्री राजाराम को चक 27 एम ओ डी ए के खाता संख्या 61/55 के प0न0 9/271 मु0न014 के किला न. 1 ता 5/1.265है0, 6/1 मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी भूमि का साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन करने का निवेदन किया गया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की गई। उक्त वाद पत्र जवाब दावा नही आने पर तनकीयात करने की आवश्यकता नही पड़ी क्योकि किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नही होने पर वादी के साक्ष्य लिये गये साक्ष्य वादी ने स्वंय का शपथ पत्र व अन्य पड़ौसी काश्तकारो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके साथ वादी ने साक्ष्य मे दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

वाद पत्र मे साक्ष्य आने पर पक्षकारो को सुना गया विद्वान अभिभाषक ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो एवं प्रस्तुत दस्तावेजो की तरफ ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया कि जरिये बैयनामा मोहनलाल पुत्र श्री जियाराम जाति बिश्नोई साकिन लखासर के नाम से 24 एम ओ डी के प0न0 9/271 मु0न0 14 के किला न. 1ता5/1.265है0, 6/1मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी भूमि खरीद की गई। जो चक 24 एम ओ डी से वर्तमान चक 27 एम ओ डी ए पैमुद हो चुका है। जिसमे वादी के पिता का नाम राजाराम उर्फ रामरतन दर्ज नही होने से दुरूस्ती वाद पत्र 08.08.1988 को सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर वादी के पिता राजाराम उर्फ रामरतन करने का संशोधन–पत्र तस्दीक करवाया गया। परन्तु जमाबन्दी मे राजाराम दर्ज हो गया। वादी के नाम जैरवाद खातेदारी भूमि दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 मे साहबराम पुत्र

— 3 पर लगातार

श्री राजाराम के नाम से अंकित है इसमे साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के दस्तावेजो मे नाम की एक रूपता होनी उचित है वादी वर्तमान मे साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन के नाम से जाना जाता है व इसी अनुसार जमाबन्दी मे अंकित होने का हकदार है। रायसाहब पुत्र श्री रामरतन सरकारी दस्तावैजी रिकार्ड मे अंकित करवाया गया जिसमे वारिस प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि दस्तावैजो मे वादी का नाम रायसाहब पुत्र श्री रामरतन अंकित है गॉव मे सरपंच गॉव के सभी निवासीयो को जानता है वादी ने अपना फोटो लगाकर नाम का सही प्रमाण पत्र एवं पड़ोसी कास्तकारो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है साहबराम पुत्र श्री राजाराम को चक 27 एम ओ डी ए के खाता संख्या 61/55 के प0न0 9/271 मु0न0 14 के किला न. 1 ता 5/1.265है0, 6/1 मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी भूमि का साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस सुनने के ष्यात दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया जिसके मुताबिक साहबराम पुत्र श्री राजाराम को चक 27 एम ओ डी ए के खाता संख्या 61/55 के प0न0 9/271 मु0न0 14 के किला न. 1 ता 5/1.265है0, 6/1 मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज है जबकि दस्तवेजो मे रायसाहब पुत्र श्री राजाराम दर्ज है इस लिए सभी सरकारी दस्तावेजो मे एक रूपता होना उचित होना आवश्यक है जिससे कृषक को सरकारी सुविधा, कृषि विकास ऋण आदि व्यवस्थाओ मे बाधा उत्पन न हो इसलिए वाद वादी स्वीकार उचित प्रतित होता है।

उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी के नाम चक 27 एम ओ डी ए के खाता संख्या 61/55 के प0न0 9/271 मु0न014 के किला न. 1 ता 5/1.265है0, 6/1 मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी मे साहबराम वल्द राजाराम के स्थान पर साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है यदि खातेदार का हिस्सा वित्तिय सस्था के नाम है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़
(राजस्व) सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)
डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

अनवान–

साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन जाति बिश्नोई साकिन 27 एम ओ डी ए गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

——— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

——— प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 आरटीए 1955 सपठित धारा 136 एल आर एक्ट मुकद्मा नम्बर 159/2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियात कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी राजवीर भादू एवं पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

बाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने आदेश प्रदान किये जाते है।

वादी के नाम चक 27 एम ओ डी ए के खाता संख्या 61/55 के प0न0 9/271 मु0न014 के किला न. 1 ता 5/1.265है0, 6/1 मे 0.127है0 कुल तादादी 1.392है0 नहरी खातेदारी मे साहबराम वल्द राजाराम के स्थान पर साहबराम उर्फ रायसाहब पुत्र श्री राजाराम उर्फ रामरतन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है यदि खातेदार का हिस्सा वित्तिय सस्था के नाम है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावेगा।

नोज .....×..... मुबलिग .....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशहर .....×.....फसदो की पालना .....×..... आज तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.01.2020 को जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 17:33:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: